भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3356

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार सृजन सुधार

3356. श्री देवुसिंह चौहान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

पिछले दशक के दौरान रोजगार सृजन सुधारों का ब्यौरा क्या है और गुजरात में उनके क्या परिणाम निकले?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। तदनुसार, सरकार गुजरात राज्य सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आदि शामिल हैं।

विधायी सुधारों के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं में सम्मिलित किया गया है। सभी संहिताओं अर्थात मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को संसद द्वारा पारित और अधिसूचित किया गया है। इन संहिताओं

का उद्देश्य प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करना है; सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालनात्मक नात्मक संबंधी बोझ को घटाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना; कारखाना लाइसेंस; अनुबंध श्रम लाइसेंस के लिए स्तर ऊंचा करना ; छंटनी, कामबंदी और कलोजर्र के लिए पूर्व अनुमति तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन आदि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

***